



सेवांताम प्रमाणित

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्

कार्यालय वास्तुविद् नियोजक

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7

नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

Email: id-ap7@upavp.com



दिनांक: 20 / 11 / 2022

पत्र सं०: 2965-

/वा०नि०-7/03/28

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,

निर्माण खण्ड बुन्देलखण्ड-01,

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्,

बी-1, तालपुरा योजना, झाँसी।

विषय:- भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-03, झाँसी के ले-आउट के सेक्टर-ए व सेक्टर-डी में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक : 1378/वाई-3/81 दिनांक 21-10-2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से परिषद् की भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-03, झाँसी के सेक्टर-ए एवं सेक्टर-डी में आंशिक संशोधन किये जाने हेतु फिजिबिल्टी आख्या उपलब्ध कराई गई है।

अवगत कराना है कि उपलब्ध कराई गई फिजिबिल्टी आख्या के आधार पर पूर्व में दिनांक 09-08-2021 को अनुमोदित ले-आउट प्लान में संशोधन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को आवास आयुक्त (म०) की अध्यक्षता में दिनांक 01-11-2022 को सम्पन्न उच्च स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया, जिसमें लिये गये निर्णय के क्रम में आवास आयुक्त (म०) द्वारा परिषद् की भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-03, का संशोधित ले-आउट प्लान दिनांक 28-11-2022 को अनुमोदित किया गया है।

अतः अनुमोदित संशोधित ले-आउट प्लान की दो प्रतियाँ अग्रिम / आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर आपको प्रेषित हैं।

संलग्नक-अनुमोदित संशोधित ले-आउट प्लान की छायाप्रति (02 नग)।

भवदीया,

J. Kalay
(ज्योति कटियार)

वास्तुविद् नियोजक

पृ०सं० : /5क्त/ दिनांक / /2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1. मुख्य वास्तुविद् नियोजक, वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्।
2. अधीक्षण अभियन्ता-बुन्देलखण्ड वृत्त, बी-1, तालपुरा योजना, झाँसी को अनुमोदित संशोधित ले-आउट प्लान की एक प्रति सहित।
3. सम्पत्ति प्रबन्धक, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, झाँसी / कानपुर को अनुमोदित ले-आउट प्लान की एक प्रति सहित।

वास्तुविद् नियोजक